न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 54 / 2022

1 सेठ मोतीलाल टीचर्स एज्यूकेशन महाविधालय झुंझुनू जिला झुंझुनू जरिये सचिव गुलझारीलाल शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा सेठ मोतीलाल टीचर्स एज्यूकेशन महाविधालय झुंझुनू जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार झुंझुनू जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2022 बमुकदमा उनवानी सेठ मोतीलाल टीचर्स एज्यूकेशन महाविधालय झुंझुनू जरिये सचिव गुलझारीलाल पुत्र सत्यनारायण शर्मा सेठ मोतीलाल टीचर्स एज्यूकेशन, महाविधालय झुंझुनू दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती मुकदमा नम्बर 30 / 2020 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू।

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

## –निर्णय–

दिनांकः– 9.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2020 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील झुंझुनू मे जमीन खसरा नम्बर 1810 रकबा 1.46 हैक्टेयर वाके झुंझुनू गैर मुमकिन कॉलेज दर्ज रिकॉर्ड है जिसमे वादी/अपीलांट संस्थान सेठ मोतीलाल टीचर्स एज्यूकेशन महाविधालय झुंझुनू संचालित किया जा रहा है। राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियों की गलती से वादी संस्थान का नाम सेठ मोतीलाल टीचर्स एज्यूकेशन महाविधालय झुंझुनू के बजाय सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू गलत दर्ज हो गया। अपीलांट/वादी की ओर से उक्त अनुसार इस भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज हुये राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू से जांच रिपोर्ट मंगवाये जाने पर रेस्पोडेंट की ओर से दिनांक 30.10.2019 को अपनी जांच रिपोर्ट विचारण न्यायालय को भिजवाते हुये स्पष्ट किया कि हाल खसरा नम्बर 1810 रकबा 1.46 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कॉलेज का खातेदार सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू दर्ज रिकॉर्ड होना बतलाते हुये वर्तमान में विवादित खसरा नम्बर की भूमि में सेठ मोतीलाल टीचर्स एज्यूकेशन महाविधालय झुंझुनू संचालित होना बताया तथा रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट मे यह भी स्पष्ट किया गया कि खसरा नम्बर 1810 की खातेदारी सेठ मोतीलाल झुंझुनू के बजाय सेठ मोतीलाल टीचर्स एज्यूकेशन महाविधालय झुंझुनू किये जाने से किसी प्रकार राजस्व हानि नही है। रेस्पोडेंट की ओर से उक्त अनुसार नाम मे शुद्विकरण किये जाना उचित बतलाते हुये अपनी रिपोर्ट दी। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1810 रकबा 1.46 हैक्टेयर वाके झुझुनू की जमाबंदी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जावे तो इसमें सेठ मोतीलाल झुंझुनू की खातेदारी मे दर्ज होकर इस भूमि की किस्म गैर मुमकिन कॉलेज दर्ज है। वादी की ओर से अपने दावा में किये गये कथनो का अवलोकन किया जावे तो इसमे इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे गलत रूप से सेठ मोतीलाल टीचर्स एज्यूकेशन महाविधालय झुंझुनू के बजाय सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू दर्ज होना बताया गया है। इस प्रकार केवल भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन में संस्थान के नाम मे गलती होना प्रकट होता है तथा इस गलती के आधार पर कानून से यह नही माना जा सकता कि वादी का विवादित भूमि खसरा नम्बर 1810 रकबा 1.46 हैक्टेयर गैर मुमकिन कॉलेज के अधिकार होना न माना जावे। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट की ओर से विवादित भूमि के सम्बंध मे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दिनांक 30.10.2019 मे भी भूमि खसरा नम्बर 1810 रकबा 1.46 हैक्टेयर वाके झुंझुनू को वादी की खातेदारी मे होना स्वीकार किया है तथा यह स्पष्ट किया कि इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि मे सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू के बजाय सेठ मोतीलाल टीचर्स एज्यूकेशन महाविधालय झुंझुनू दुरूस्त किया जाना उचित है जिससे प्रतिवादी/रेस्पोडेंट को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना भी जाहिर किया गया है तथा इस प्रकार दुरूस्ती किये जाने से किसी प्रकार की कोई राजस्व हानि नही होने का भी कथन किया गया है। धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण मे राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि मे मात्र नाम के शुद्विकरण बाबत सिद्वि चाही गई है तथा कानून से इस प्रकार की शुद्विकरण बाबत रिलीफ दिये जाने मे कानून से कोई अड़चन नही है तथा विचारण न्यायालय ने कानून की इस स्थिति पर बिना किसी प्रकार से गौर किये अपना निर्णय गलत दिया है जो निरस्त होने योग्य है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा अपने वाद के समर्थन में किसी भी प्रकार की मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर वाद कथन को साबित नही किया गया है। ऐसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलांट द्वारा दिनांक 06.02.2020 को प्रस्तुत किया गया था। इसके उपरान्त दिनांक 22.02.2022 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अथवा अपील न्यायालय में वादी अपीलांट ने वाद कथन के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर